राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :—रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
17 / 2019	14.03.2019	01.02.2021

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

...............वादी

बनाम

1. हरिया पुत्र ममलू जाति माली निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर
2. भौरेलाल पुत्र ममलू जाति माली निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर
3. कान्हा पुत्र ममल जाति माली निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर
4. लालाराम पुत्र ममलू जाति माली निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर
5. दीनदयाल पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर
6. सुबास पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर
7. सुनिता देवी पत्नी अशोक कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर
8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरिकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर
9. सविता देवी पत्नी विरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर
10. देशराज पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रैणागिर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

...................प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

उपस्थितिः— वादी स्वयं श्री रोहिताश पारीक तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मुण्डावर।

—:निर्णयः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:34 IST
Reason: SelfAttested

आजयह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी स्व[illegible] श्री [illegible]ताश पारीक तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मुण्डावर उपस्थित है। वादी ने यह [illegible] पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी ख0नं0 हाल 1273 / 407 रकबा [illegible] जाव 1, चाही 1 राजस्व ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर में स्थित है। उपरोक्त भूमि [illegible] प्रयोजनार्थ है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 2071–74 में अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 के नाम से दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। पटवारी हल्का पेहल द्वारा दिनांक 27.01.2019 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि उक्त वर्णित भूमि मौके पर कृषि कार्य के बजाय गैर कृषि कार्य भवन बनाकर विधालय संचालित किया जा रहा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नही है। पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुयी है। इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य में यह भूमि पुनः कृषि योग्य नही रह पायेगी। प्रतिवादीगण की इस कृत्य की देखा देखी में अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि भूमि में पैदावार होना भी असंभव हो सकता है तथा भूमि का कृषि संबंधि उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। वाद पत्र में सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। वाद पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क आदि से मुक्त है। वाद का कारण पटवारी हल्का द्वारा खातेदारान द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यो में उपयोग करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर स्वरूप कृषि से भिन्न भूमि में बदल दिया गया है। अतः प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारी समाप्त कर वाद पत्र में वर्णित भूमि राज्य सरकार के हित में सिवायचक घोषित करने की कृपा करे।

वादी ने अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का मौके पर स्वरूप कृषि से भिन्न भूमि में बदल दिया गया है। अतः प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारी समाप्त कर वाद पत्र में वर्णित भूमि राज्य सरकार के हित में सिवायचक घोषित करने की कृपा करे।

वादी ने अपने वाद पत्र के ताहिद में रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का पेहल दिनांक 27.01.2019, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबदी संवत 2071–74 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील करवाई गई। विधिवत तामील हुई। बावजूद विधिवत तामील प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नही हुये लिहाजा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। बहसवादी सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया है एवं उस पर मनन किया गया। न्यायालय का सम्यक समाधान है कि आराजी ख0नं0 हाल 1273/407 रकबा 0.44 हैक्ट. किस्म बारानी जाव 1, चाही 1 राजस्व ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर में स्थित है। उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है। उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

सवंत 2071–74 में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 के नाम से दर्ज है। तहसीलदार मुण्डावर एवं पटवारी रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि मौके पर कृषि कार्य के बजाय गैर कृषि कार्य भवन बनाकर विधालय संचालित किया जा रहा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नही है।राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुयी है। इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य में यह भूमि पुनः कृषि योग्य नही रह पायेगी। प्रतिवादीगण की इस कृत्य की देखा देखी में अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि भूमि में पैदावार होना भी असंभव हो सकता है तथा भूमि का कृषि संबंधि उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

वादी का वाद जायज है। साबित है। न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:आदेशः–

आराजी ख0नं0 हाल 1273/407 रकबा 0.44 हैक्ट. किस्म बारानी जाव 1, चाही 1 राजस्व ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर से प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 10 के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उपरोक्त वर्णित आराजी ख0नं0 हाल 1273/407 रकबा 0.44 हैक्ट राज्य सरकार के हित में सिवायचक घोषित की जाती है एवं तहसीलदार मुण्डावर को आदेश दिये जाते है उक्त उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

01.2.21

(रामसिंह राजावत) उपखण्डाधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.06.24 10:28:34 IST
Reason: SelfAttested